तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व वाद सं. 12/2014 सुरेशकुमार बनामः फूलाराम वगैरा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आर.टी.एक्ट,1955

30.05.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र ऐरनपुरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पटवारी बलवना व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वस्तुतःस्थिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। कथित मामले में राजस्व लोक अदालत की मंशा के *तहत* पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। चूंकि पटवारी बलवना व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर ने अपनी तथाकथित जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.01 लगाय 10 द्वारा अन्यत्र को बैचान कर दी है जिससे वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रश्नगत् मामले में पटवारी बलवना व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की वस्तुतःजांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.01 लगाय 10 द्वारा अन्यत्र को बैचान कर दिए जाने से व खरीदकर्ताओं को इस प्रकरण में विधिवत् पक्षकार यथासमय पर नहीं बनाने से इस प्रकरण की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस विचारण प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। आदेश बरोज आज केम्प ऐरनपुरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner